संख्या– 1027 /XV-3/2018-08(23)/2018

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) **देहरादूनः दिनांक 08 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 2018**

विषय– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशॅल कम्पोनेन्ट प्लान (SCPSC) योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5080/अनु० जाति (SCSP)/2018–19, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु मत्स्य विभागन्तर्गत संचालित अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशॅल कम्पोनेन्ट प्लान (Special Component Plan for Scheduled Castes) में मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल लागत रू० 163.70 लाख {रू० 99.92 (देय अनुदान) + रू० 63.78 (लाभार्थी अंश)} की योजना हेतु संलग्न परिशिष्ठ–**'क'** की तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु परिशिष्ठ–**'ख'** की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित जनपदों एवं मत्स्य निदेशालय हेतु स्तम्भ–17 के विवरणानुसार कुल धनराशि **रू० 99.92 लाख (रूपये निन्यानबे लाख, बयानबे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017 /XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं सुसंगत शासनादेशों में प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(2) उक्त योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–806/XV-3/2017-01(27)/2005, दिनांक 19 जनवरी, 2018 द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु जारी **Allotment ID** की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का अन्तरण **DBT** के माध्यम से किया जायेगा तथा लाभार्थियों के चयन व योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यय की सूचना (कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक) प्रतिमाह 5 तारीख तक बी०एम०–08 प्रपत्र पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(8) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) किसी भी दशा में एक मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरादायित्व होगा, जो बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

क्रमशः......2

(10) जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनमें स्पष्टरूप लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण--पत्र, व्यय विवरण एवं लाभार्थियों की सूची **फोटोग्राफ** सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) किसी भी क्रय/विक्रय हेतु अधिप्राप्ति (प्रोक्यौरमेन्ट) नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रहों के अनुसार, आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही मितव्ययता संबंधी आदेशों, डी०जी०एस०एन०डी० की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–**2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन, 03–मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम, 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता मद** के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017 /XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः **यथोक्त**।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या– 1027 (1)/XV-3/2018-08(23)/2018 (बजट), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार साईबर ट्रैजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, बजट राजकोषीय एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

परिशिष्ठ–'क'

शासनादेश सं०– 1027 /XV-3/2018-08(23)/2018, दिनांक 08 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 2018 का संलग्नक

1– अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशॅल कम्पोनेन्ट प्लान (**Special Component Plan for Scheduled Castes**) में मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के भौतिक लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारण

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2018–19				
		मैदानी तालाब (हैक्टेयर में)		पर्वतीय तालाब (यूनिट में)		प्रशिक्षण (बैच में)
		निर्माण	निवेश	निर्माण	निवेश	
1.	उत्तरकाशी	-	-	10	10	5
2.	टिहरी	-	-	9	9	4
3.	चमोली	-	-	9	9	4
4.	रुद्रप्रयाग	-	-	6	6	2
5.	पौड़ी	-	-	10	10	5
6.	देहरादून	0.10	0.10	9	9	5
7.	पिथौरागढ़	-	-	9	9	4
8.	अल्मोड़ा	-	-	15	20	4
9.	बागेश्वर	-	-	11	12	2
10.	चम्पावत	-	-	6	6	2
11.	नैनीताल	-	-	6	6	2
12.	उधमसिंह नगर	2.10	2.10	0	0	4
13.	हरिद्वार	2.30	2.30	0	0	7
योग		**4.50**	**4.50**	**100**	**106**	**50**

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

क्रमशः..........2

परिशिष्ठ—2ग

2— अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशॅल कम्पोनेन्ट प्लान (**Special Component Plan for Scheduled Castes**) में मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 के वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार निर्धारणः—

(धनराशि रू० लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	मैदानी तालाब (हैक्टेयर में)						पर्वतीय तालाब (यूनिट में)						प्रशिक्षण हेतु देय अनुदान	योग		
		निर्माण			निवेश			निर्माण			निवेश						
		कुल लागत	देय अनुदान @ 60%	लाभार्थी अंश	कुल लागत	देय अनुदान @ 60%	लाभार्थी अंश	कुल लागत	देय अनुदान @ 60%	लाभार्थी अंश	कुल लागत	देय अनुदान @ 60%	लाभार्थी अंश		कुल लागत	देय अनुदान @ 60%	लाभार्थी अंश
—1—	—2—	—3—	—4—	—5—	—6—	—7—	—8—	—9—	—10—	—11—	—12—	—13—	—14—	—15—	—16—	—17—	—18—
1.	उत्तरकाशी	0	**0**	0	0	**0**	0	10.00	**6.00**	4.00	2.00	**1.20**	0.80	0	12.00	**7.20**	4.80
2.	टिहरी	0	**0**	0	0	**0**	0	9.00	**5.40**	3.60	1.80	**1.08**	0.72	0	10.80	**6.48**	4.32
3.	चमोली	0	**0**	0	0	**0**	0	9.00	**5.40**	3.60	1.80	**1.08**	0.72	0	10.80	**6.48**	4.32
4.	रुद्रप्रयाग	0	**0**	0	0	**0**	0	6.00	**3.60**	2.40	1.20	**0.72**	0.48	0	7.20	**4.32**	2.88
5.	पौड़ी	0	**0**	0	0	**0**	0	10.00	**6.00**	4.00	2.00	**1.20**	0.80	0	12.00	**7.20**	4.80
6.	देहरादून	0.70	**0.42**	0.28	0.15	**0.09**	0.06	9.00	**5.40**	3.60	1.80	**1.08**	0.72	0	11.65	**6.99**	4.66
7.	पिथौरागढ़	0	**0**	0	0	**0**	0	9.00	**5.40**	3.60	1.80	**1.08**	0.72	0	10.80	**6.48**	4.32
8.	अल्मोड़ा	0	**0**	0	0	**0**	0	15.00	**9.00**	6.00	4.00	**2.40**	1.60	0	19.00	**11.40**	7.60
9.	बागेश्वर	0	**0**	0	0	**0**	0	11.00	**6.60**	4.40	2.40	**1.44**	0.96	0	13.40	**8.04**	5.36
10.	चम्पावत	0	**0**	0	0	**0**	0	6.00	**3.60**	2.40	1.20	**0.72**	0.48	0	7.20	**4.32**	2.88
11.	नैनीताल	0	**0**	0	0	**0**	0	6.00	**3.60**	2.40	1.20	**0.72**	0.48	0	7.20	**4.32**	2.88
12.	उधमसिंह नगर	14.70	**8.82**	5.88	3.15	**1.89**	1.26	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	17.85	**10.71**	7.14
13.	हरिद्वार	16.10	**9.66**	6.44	3.45	**2.07**	1.38	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	19.55	**11.73**	7.82
14.	मत्स्य निदेशालय	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	**4.25**	4.25	**4.25**	0.00
	योग	**31.50**	**18.90**	**12.60**	**6.75**	**4.05**	**2.70**	**100.00**	**60.00**	**40.00**	**21.20**	**12.72**	**8.48**	**4.25**	**163.70**	**99.92**	**63.78**

(वी०एस० पुण्डीर)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Fisheries (S014)

आवंटन पत्र संख्या - 1027/XV-3/2018-08(23)/2018, dated 08-10-2018

अलोटमेंट आई डी - S1810300051

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -08-Oct-2018

HOD Name - Director Fisheries (4362)

1: **लेखा शीर्षक** 2405 - मछली पालन 00 -

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

03 - मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्यक्रम

00 - मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	9992000	9992000
	0	**9992000**	**9992000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 9992000

(वी0एस0 पुन्डीर)
उप सचिव
पशुपालन,डेरी,मत्स्य एवं भाषा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।